मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झांसी

पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.
M.A.C.P. No.- 351/2018
1. श्रीमती मन्नू देवी पत्नी स्व. श्री भगवत सिंह, आयु- 42 वर्ष
2. श्यामसुन्दर पुत्र स्व. श्री भगवत सिंह, आयु- 20 वर्ष, निवासीगण- ग्राम खिरिया, तहसील भाण्डेर, जिला- दतिया (म.प्र.)

- - - - - - - - - - - - याचीगण

बनाम

1. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखनलाल, निवासी- परातरी, थाना- चिरगांव, झांसी (मालिक बुलैरो संख्या- UP 93AE3889)
2. चन्द्रशेखर राजपूत पुत्र श्री जगतराम, निवासी- 7 सिया, थाना- चिरगांव, झांसी (चालक बुलैरो संख्या- UP93AE3889)
3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि., कचहरी चौराहा, झांसी (बीमाकर्ता बुलैरो संख्या- UP93 AE3889)UP93AE3889

- - - - - - - - - - - - विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री महेन्द्र विश्वकर्मा**
विपक्षीगण के अधिवक्ता- **श्री ~~दीपक श्रीवास्तव~~** संजय कंचन

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याचीगण श्रीमती मन्नू देवी एवं श्याम सुन्दर मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या- तीन दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.5,90,000 प्रतिकर के लिए राजीनामा हो गया है, जिससे याचीगण संतुष्ट है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याचीगण ने दिनांक 22.4.18 को घटित सड़क दुर्घटना में अपने पति एवं पिता भगवत सिंह को आई गम्भीर चोटों के कारण हुई मृत्यू के लिए रु.21,50,000 प्रतिकर की मांग करते हुये वर्तमान याचिका योजित की है और दौरान विचारण उक्त राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये राजीनामा के आधार पर याचिका निस्तारित किये जाने का आग्रह किया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र 30B पर याचीगण के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र विश्वकर्मा के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- तीन दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की शिनाख्त श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याचीगण **श्रीमती मन्नू देवी, श्याम सुन्दर** एवं विपक्षी संख्या- तीन दि न्यू इण्डिया **~~श्रीराम~~** ए **इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**5,90,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या- तीन को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC:PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे।प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि में से याची संख्या- एक एवं दो क्रमशः 60% एवं 40% भाग प्राप्त करेंगे जिसमें से 1/2 भाग प्रत्येक याचीगण के बैंक खाते में जरिये RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जायेगा, जिसे याचीगण नकद प्राप्त करेंगे व 1/2 भाग की धनराशि बैंक की सर्वाधिक लाभकारी सावधि जमा योजना में तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा की जायेगी। उक्त निवेश पर कोई ऋण देय नहीं होगा न ही उन्हे कहीं बन्धक किया जा सकेगा।

Typographical error corrected
vide order dated 26.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.20 18:06:24 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

PO
MACT, JHANSI
26.07.2021

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.26 18:59:18 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI